



जनपद हमीरपुर

थाना राठ

दिनांक -25.06.2026

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-

पुलिस कार्यवाही

अवगत कराना है आज दिनांक 25.06.2026 को थाना राठ पुलिस द्वारा सघन चेकिंग के दौरान अभियुक्त साहीद पुत्र हबीब खान को एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ चौपडा मंदिर से सीएचसी मार्ग पर कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 221/2026 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

साहीद पुत्र हबीब खान निवासी पठानपुरा नई बस्ती गायत्री नगर कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 23 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 474/2020 धारा 60 आब0 अधि0 थाना राठ जनपद हमीरपुर ।
2. मु0अ0सं0 289/2024 धारा 323, 341, 452, 506 भा0द0स0 थाना राठ जनपद हमीरपुर ।
3. मु0अ0सं0 221/2026 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 पवन चौधरी
2. का0 गौरव सिंह जादौन
3. का0 शिवम कुमार

